रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 1988/श्रावण 19, 1910
No. 429] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 1988/SRAVANA 19, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि. 847(अ).—कतिपय नियम का एक प्रारूप, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 845 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1987 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1), तारीख 8 अक्तूबर 1987 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे; जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र 4 नवम्बर, 1987 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, (1986 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "रजिस्टर" से अधिनियम की धारा 11 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. समिति के सदस्यों की पदावधि.—(1) समिति के सदस्यों की पदावधि राजपत्र में उनकी नियुक्ति अधिसूचित की जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार समिति के सदस्य की पदावधि अधिकतम दो वर्ष के लिये बढ़ा सकेगी:

परन्तु यह और कि सदस्य अपनी पदावधि के समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

4. समिति का सचिव.—केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

5. गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते.—समिति के गैर सरकारी सदस्यों को ऐसी फीस और भत्ते संदत्त किये जायेंगे, जो केन्द्रीय सरकार के चार हजार पांच सौ रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय हों।

6. त्यागपत्र.—(1) कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(3) उप नियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट त्यागपत्र अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथा स्थिति, स्वीकार किये जाने की तारीख से या ऐसे त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पूर्ववर्ती हो, प्रभावी होगा।

7. समिति के अध्यक्ष या सदस्य का हटाया जाना.—केन्द्रीय सरकार समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी समय उसको हटाये जाने की प्रस्थापना के विरुद्ध उसका कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे हटा सकेगी।

8. सदस्यता की समाप्ति.—यदि कोई सदस्य—

(क) समिति की लगातार तीन या अधिक बैठकों में अध्यक्ष की इजाजत के बिना अनुपस्थित रहता है; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित घोषित किया जाता है;

(ग) ऐसे अपराध का दोषी है या उसके लिये दोष सिद्ध किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(घ) दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है या किसी समय रहा है या उसने अपने ऋण को निलंबित रखा है या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

9. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.—यदि कोई सदस्य नियम 6 के अधीन अपना पद त्यागता है, या नियम 8 के अधीन सदस्य नहीं रहता है, तो इस प्रकार कारित आकस्मिक रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया सदस्य अपने पद पूर्ववर्ती की अवधि के अनवसित भाग के लिये पद धारण करेगा।

10. बैठकों का समय और स्थान.—समिति ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी, जिसे अध्यक्ष इस निमित्त नियत करें।

11. बैठकों की सूचना.—समिति का सचिव प्रत्येक बैठक के लिये नियत समय और स्थान की कम से कम 7 दिन की सूचना उक्त बैठक में संव्यवहृत किये जाने वाले कारबार की सूची के साथ समिति के प्रत्येक सदस्य को देगा।

12. बैठकों की अध्यक्षता.—अध्यक्ष समिति की प्रत्येक बैठक की, जिसमें वह उपस्थित हो, अध्यता करेगा, किन्तु यदि अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

13. गणपूर्ति.—समिति की किसी बैठक में, जब तक अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त सामेति के कम से कम तीन सदस्य उपस्थित न हों, किसी कारबार का संव्यवहार नहीं किया जायेगा:

परन्तु ऐसी किसी बैठक में, जिसमें कुल सदस्य में से तीन से कम सदस्य उपस्थित हो, अध्यक्ष बैठक को ऐसी किसी तारीख के लिए, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकेगा और उपस्थित सदस्य को इसकी सूचना देगा तथा अन्य सदस्यों को अधिसूचित करेगा कि अनुसूचित बैठक का कारबार गणपूर्ति का ध्यान दिये बिना ही स्थगित बैठक में निपटाया जाएगा और यह विधि पूर्ण होगा कि ऐसी स्थगित बैठक में कारबार का निपटारा बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या का ध्यान किये बिना ही किया जाए ।

14. बहुमत द्वारा विनिश्चय.—समिति की बैठक में विचार किये गये सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में, यथा स्थिति, अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों का दूसरा या निर्णय मत होगा।

15. उप समितियां.—समिति एक या अधिक उप समितियां, जिसमें चाहे केवल समिति के ही सदस्य हों या जिसमें भागतः सदस्य समिति के और भागतः अन्य व्यक्ति, जिन्हें वह योग्य समझे, हों, ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिसका वह विनिश्चय करेगी, गठित कर सकेगी, और इस प्रकार गठित कोई समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो उसे समिति द्वारा प्रत्यायोजित किये जाएं।

16. अधिनियम की धारा 11 के अधीन रखा जाने वाला रजिस्टर.—(1) स्थापन का प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसे बालकों के सम्बन्ध में, जो नियोजित हैं या जिन्हें कार्य करने के लिये अनुज्ञात किया गया है, प्ररूप अ में एक रजिस्टर रखेगा।

(2) रजिस्टर वार्षिक आधार पर रखा जाएगा किन्तु उसे नियोजक द्वारा उसमें की गई अन्तिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष की कालावधि के लिये रखा जायेगा।

17. आयु संबंधी प्रमाणपत्र.—

(1) ऐसे सभी अल्पवय व्यक्ति, जो अनुसूची के भाग क में उपवर्णित उपजीविकाओं में से किसी में या किसी कर्मशाला में, जहां अनुसूची के भाग ख में वर्णित प्रक्रियायें की जाती हों, नियोजित है, जब कभी निरीक्षक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये, तो समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाणपत्र प्ररूप "आ" में जारी किया जायेगा।

(3) ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिये चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वही होंगे जो यथा स्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अपने चिकित्सा बोर्डों के लिए विहित किए गए हैं।

(4) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार, ऐसे अल्पवय व्यक्ति के, जिसकी आयु प्रश्नगत है, नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: उपनियम (1) के प्रयोजन के लिये समुचित "चिकित्सा प्राधिकारी" ऐसा सरकारी चिकित्सा डाक्टर होगा, जो किसी जिले के सहायक सर्जन की पंक्ति से नीचे का न हो या जो कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित डाक्टर हो।

प्ररूप "अ"

[नियम 16(1) देखिए]

नियोजक का नाम और पता.....कार्यस्थल.....

स्थापन द्वारा किये जाने वाले कार्य की प्रकृति

क्रम सं.	बालक का नाम	पिता का नाम	जन्म की तारीख	स्थायी पता	स्थापन कार्य ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5	6

कार्य की प्रकृति, जिसमें वह नियोजित है	दैनिक कार्य घंटे	विश्राम के अंतराल	संदत्त मजदूरी	टिप्पणियां
7	8	9	10	11

प्ररूप "आ"

(आयु प्रमाण पत्र)

[नियम 17(2) देखिए]

प्रमाणपत्र संख्या

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्रीपुत्र/पुत्री श्री जोकी निवासी है, की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा की है और यह कि उसने अपना चौदहवां वर्ष (आयु का) पूरा कर लिया है और उसकी आयु मेरे द्वारा की गई परीक्षा से यथा शक्य निकटतम सुनिश्चित किया जा सकता है वर्ष (पूरी) है।

उसका पहचान चिह्नहै।

बालक के अंगूठे की छाप/हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

चिकित्सा प्राधिकारी

पदनाम :

[फाइल सं. एस-27025/59/86-सी.एल.]

मीना गुप्ता, निदेशक।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 10th August, 1988

G.S.R. 847(E):—WHEREAS the draft of certain rules was published as required by sub-section (1) of section 18 of the Child Labour Prohibitions and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th October, 1987, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. G.S.R. 845(E), dated the 8th October, 1987, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 4th November, 1987;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the said Act, the Central Government, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:–In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986);

(b) "Committee" means the Child Labour Technical Advisory Committee constituted under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Committee appointed under sub-section (2) of section 5 of the Act;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "register" means the register required to be maintained under section 11 of the Act;

(f) "Schedule" means the Schedule appended to the Act;

(g) "section" means a section of the Act.

3. Term of office of the members of the Committee: (1) The term of o ce of the members of the Committee shall be one year from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette:

Provided that the Central Government may extend the term of office of the member of the Committee for a maximum period of two years:

Provided further that the member shall, notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) The members appointed under sub-rule (1) shall be eligible for reappointment.

4. Secretary to the Committee: The Central Government may appoint an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India as Secretary of the Committee.

5. Allowances to non-official members: The non-official members and Chairman of the Committee sall be paid such fees and allowances as may be admissible to the officers of the Central Government drawing a pay of rupees four thousand and five hundred or above.

6. Resignation : (1) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the Chirman.

(2) The Chairman may resign his office by writing under his hand addressed to the Central Govern ment.

(3) The resignation referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) shall take effect from the date of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of receipt of such resignation, whichever is earlier, by the Chairman or the Central Government, as the case may be.

7. Removal of Chairman or member of the Committee: The Central Government may remove the Chairman or any member of the Committee at any time before the expiry of the term of office after gving him a reasonable opportunity of showing cause against the proposed removal.

8. Cessation of membership: If a member :—

(a) is absent without leave the Chairman for three or more consecutive meetings of the Committee; or

(b) is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(c) is or has been convicted of any offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(d) is, or at any time, has been adjudicated insolvent or has suspended his debts or has compounded with his creditors, shall cease to be a member of the Committee.

9. Filling up of casual vacancies: In case a member resigns his office under rule 6 or ceases to be a member under rule 8, the casual vacancy thus caused shall be filled up by the Central Government and the member so appointed shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

10. Time and place of meetings: The Committee shall meet at such times and places as the Chairman may fix in this behalf.

11. Notice of meetings: The Secretary to the Committee shall give at least seven days notice to every member of the Committee of the time and place fixed for each meeting alongwith the list of business to be transacted at the said meeting.

12. Presiding at meetings: The Chairman shall preside at every meeting of the Committee at which he is present; if, however, the Chairman is unable to attend a meeting, any member elected by the members present among themselves shall preside at the meeting.

13. Quorum: No business shall be transacted at a meeting of the Committee unless at least three members of the Committee other than the Chairman and the Secretary are present:

Provided that at any meeting in which less than three of the total members are present, the Chairman may adjourn the meeting to a date as he deems fit and inform the members present and notify other members that the business of the scheduled meeting shall be disposed of at the adjourned meeting irrespective of the quorum and it shall be laswful to dispose of the business at such adjourened meeting irrespective of the number of members attending the meeting

14. Decision by majority: All questions considered at a meeting of the Committee shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairman, or in the absence of Chairman, the member presiding at the meeting, as the case may be shall have a second or casting vote.

15. Sub-Committees: The Committee may constitute one or more Sub-Committees, whether consisting only of members of the Committee or partly of members of the Committee and partly of other persons as it thinks fit, for such purposes, as it may decide and any Sub-Committee so constituted shall discharge such functions as may be delegated to it by the Committee.

16. Register to be maintained under section 11 of the Act:

(1) Every occupier of an establishment shall maintain a register in respect of children employed or permitted to work, in Form A.

(2) The register shall be maintained on a yearly basis but shall be retained by the employer for a period of three years after the date of the last entry made therein.

17. Certificate of age: (1) All young persons in employment in any of the occupations set-forth in Part A of the Schedule or in any workshop wherein any of the processes set-forth in Part B of the Schedule is carried on, shall produce a certificate of age from the appropriate medical authority, whenever required to do so by an Inspector.

(2) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall ibe issued in Form 'B'.

(3) The charges payable to the medical authority for the issue of such certificate shall he the same as prescribed by the State Government or the Central Government, as the care may be for their respective Medical Boards.

(4) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the young person whose age is under question.

Explanation for the purposes of sub-rule (1), the appropriate "Medical Authority" shall be Government medical doctor not below the rank of an Assistant Surgeon of a District or a regular doctor of equivalent rank employed in Employees' State Insurance dispensaries or hospitals.

FORM 'A'

[See rule 16 (1)]

Year.....

Name and address of employer..... Place of work.....

Nature of work being done by the establishment.....

Sl. No.	Name of Child	Father's Name	Date of Birth	Permanent Address	Date of joining the establishment.
1	2	3	4	5	6

Nature of work on which employed.	Daily hours of work	Intervals of rest	Wages padd	Remarks
7	8	9	10	11

FORM 'B'

(CERTIFICATE OF AGE)

[See rule 17(2)]

Certificate No.....

I hereby certify that I have personally examined (name).....son/daughter of.....residing at.....and that he/she has completed his/her fourteenth year and his/her age, as nearly as can be ascertained from my examination, is.....years (completed).

His/her descriptive marks are.....

.....

Thumb-impression/signature of Child

Place.....

Date.....

Medical Authority

Designation

[File No. S-27025/59/86-CL]

Director

(MEENA GUPTA)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988